संख्याः 62/2026/326/35-4-2026/35-1099/20/2025

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजीपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ। दिनांकः31 मार्च, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि योजनान्तर्गत कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्धमें।

महोदय,

राज्यांश/2025-26 उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1338/पू०वि०निधि/राज्यांश/2025-26 दिनांक 27.11.2025, पत्र संख्या-1449/पू०वि०निधि/राज्यांश/2025-26 दिनांक 18.12.2025, पत्र संख्या-1481/पू०वि०निधि/राज्यांश/2025-26 दिनांक 26.12.2025, पत्र संख्या-75/पू०वि०निधि/दिनांक 19.01.2026, पत्र संख्या-83/पू०वि०निधि/राज्यांश/2025-26 दिनांक 20.01.2026 एवं पत्र संख्या-170/पू०वि०निधि/राज्यांश/2025-26 दिनांक 04.22.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल) निधि योजनान्तर्गत जनपद-गाजीपुर में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रु 1001.21 लाख (रूपए दस करोड़ एक लाख इक्कीस हजार मात्र, 18 % जी०एस०टी०,01 लेबर सेस एवं 01% कन्टीजेन्सी सहित) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू 479.00 लाख (रुपये चार करोड़ उनासी लाखमात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों के लिए ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्यदायी संस्था नामित की जाती हैः-

(लाख रू. में)

क्र0	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि
1	विकास खण्ड सदर के ग्राम सभा महराजगंज में शिव मूरत जायसवाल के घर से रम्पत यादव के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य	**285**	17.52	8.00
2	विकास खण्ड सदर के ग्राम जंजीरपुर शिवमूरत कुशवाहा के घर से राजेन्द्र यादव मास्टर साहब के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	**560**	29.63	14.00
3	विकास खण्ड सदर के ग्राम करण्डा में लालजी गुप्ता के घर से राम अवध माली के घर होते हुए गोपाल कुशवाहा के घर तक सी०सी० निर्माण कार्य।	**370**	21.34	10.00
4	बरेजी लहना मार्ग से पम्प कैनाल खेल मैदान होते हुए बरेजी माई स्थल तक सम्पर्क मार्ग पर सी0सी0 निर्माण कार्य	1288	73.55	35.00
5	विकास खण्ड कासिमाबाद के ग्राम पंचायत नसीरूद्दीनपुर में मेन पिच रोड़ रमाकान्त के पोखरे से श्रीनाथ गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	150	8.98	4.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	विकास खण्ड कासिमाबाद के ग्राम पंचायत नसीरूद्दीनपुर में खेताबपुर मेन पिच रोड़ से केदार गुप्ता के घर के सामने दुर्गा मन्दिर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	550	32.86	16.00
7	विकास खण्ड कासिमाबाद के ग्राम पंचायत सवना में पारस के घर से दशरथ राजभर के घर तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य	140	9.21	4.00
8	विकास खण्ड कासिमाबाद के ग्राम पंचायत दरियापुर (भौदास) में मेन पिच रोड़ से गोबल हरिवंश राजभर के घर होते हुए मझनू राजभर के घर तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य	145	10.91	5.00
9	विकास खण्ड कासिमाबाद के ग्राम पंचायत टोड़ार में पिच रोड़ से रामपति प्रजापति के घर तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य	125	9.47	5.00
10	विकास खण्ड मरदह के ग्राम पंचायत मरदह में मरदह बाजार पड़िता पिच रोड़ प्रीतम कन्नौजिया के घर से अशोक प्रजापति की दुकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	130	8.07	4.00
11	विकास खण्ड मरदह के ग्राम पंचायत सेवठा में झब्बर पासी के घर से प्राथमिक विद्यालय तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	170	11.38	5.00
12	विकास खण्ड मरदह के ग्राम पंचायत करदह कैथवली में भगवान गुप्ता के घर से गुलाब गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य	130	9.33	4.00
13	विकास खण्ड मरदह के ग्राम पंचायत मटेहूँ में दिनेश चौबे के घर से नन्दलाल यादव के घर तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य ।	260	18.58	9.00
14	विकास खण्ड कासिमाबाद के ग्राम पंचायत महिपालपुर में राम आसरे नट के घर से विजय राठौर के घर तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य	125	7.98	4.00
15	विकास खण्ड कासिमाबाद के ग्राम पंचायत महिपालपुर में बेरी चौहान के घर से घुरहु चौहान की घर तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य	150	9.23	4.00
16	विकास खण्ड बाराचँवर के ग्राम पंचायत महुवारी (अफलेपुर) मेन रोड़ से बबलू गोड़ के घर तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य	420	28.14	14.00
17	विकास खण्ड बाराचंवर के ग्राम पंचायत मुहब्बतपुर सम्पर्क मार्ग से प्रकाश बिन्द के घर होते हुए ब्रह्मस्थान तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य	381	18.78	9.00
18	विकास खण्ड बाराचँवर के ग्राम सभा कुबारी सम्पर्क मार्ग से मठिया होते हुए साल्हर खाँ बिन्द बस्ती तक सी०सी० रोड़ निर्माण कार्य	315	20.59	10.00
19	ब्लॉक सादात ग्राम सभा गौरा में श्री बनारसी दास आदर्श प्राइमरी पाठशाला (बनपुर) से ओम प्रकाश के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य	300	17.15	8.00
20	ब्लॉक सैदपुर, ग्राम पंचायत कोटिशा में जी०टी० रोड से	155	7.99	4.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	आर०सी०सी० तक इण्टर लॉकिंग का कार्य			
21	ब्लॉक सैदपुर, ग्राम पंचायत मसुदपुर में लाल जी यादव के घर से अनुसूचित जाति बस्ती तक	252	11.71	6.00
22	ब्लॉक सैदपुर, ग्राम सभा दुर्जनपुर में सी०सी० रोड से अनुसूचित जाति बस्ती तक इण्टर लॉकिंग कार्य	237	11.11	5.00
23	ब्लॉक सादात ग्राम सभा इकरा में हरिवंश के मशीन से जयराम गौड़ के घर तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण कार्य	200	9.62	5.00
24	ब्लॉक सादात ग्राम सभा जलालपुर नगवा में रामानन्द के घर सियानाथ यादव के खेत तक इण्टरलॉकिंग रोड निर्माण कार्य	310	14.53	7.00
25	विकास खण्ड बिरनो ग्राम सभा बोगना ढोढावीर पिच रोड़ से बरही दलित व चौहान बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	1770	64.71	31.00
26	विकास खण्ड देवकली के ग्राम सभा चितौरा में दिनेश प्रजापति (छन्नू) के खेत से रामअवध के घर होते हुए लोकनाथ के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	170	9.74	5.00
27	विकास खण्ड देवकली के ग्राम सभा चितौरा में पिच रोड से डबलू कुशवाहा के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	172	9.86	5.00
28	विकास खण्ड देवकली के ग्राम सभा चितौरा में हंशू कुशवाहा के घर से रामदरश प्रजापति के घर तक सी०सी रोड का निर्माण	172	9.82	5.00
29	विकास खण्ड देवकली के ग्राम सभा सिहोरी में नन्दगंज शादियाबाद मार्ग से रामअवध राम के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य	200	9.87	5.00
30	विकास खण्ड करण्डा के ग्राम पंचायत धरवां में पिच रोड से बलिराम बिन्द के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	200	10.4	5.00
31	विकास खण्ड मरदह के ग्राम पंचायत टिसौरी में चौहान बस्ती पिच रोड से चौहान बस्ती तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	250	14.09	7.00
32	विकास खण्ड मरदह के ग्राम पंचायत चवर में घरिहाँ महिपाल सम्पर्क मार्ग से रमेश यादव के खेत से पिच रोड तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	180	10.17	5.00
33	विकास खण्ड मरदह के ग्रामपं चायत बसवारी में प्राथमिक विद्यालय से लाचन गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	160	8.35	4.00
34	विकास खण्ड जमानियां के ग्राम पंचायत ढ़ढ़नी भानमल राय में ढ़ढ़नी सुहवल मार्ग से मुनेश पटेल के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	269	12.19	6.00
35	विकास खण्ड सैदपुर के ग्राम पंचायत सिंगारपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोड से राजकुमार सिंह के घर तक दोनों तरफ 09 इंच का दिवाल सहित सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	215.5	17.12	8.00
36	विकास खण्ड करण्डा के ग्राम पंचायत मदनपुर उर्फ प्रतापपुर में तुलापट्टी मेदनीपुर रोड से रम्भा सिंह के दरवाजे तक सी०सी०	90	6.83	3.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	रोड का निर्माण कार्य			
37	विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम पंचायत हरदासपुर में मुख्य गेट से गाँव तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	235	10.62	5.00
38	विकास खण्ड सदर के ग्रामपंचायत हैतिमापुर में सी०सी० रोड से डॉ० राममूर्ति के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	60	3.75	2.00
39	विकास खण्ड सैदपुर के ग्रामपंचायत तेतारपुर में पिच रोड से कान्ता के घर होते हुए पूर्व एम०एल०सी० राजदेव सिंह के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	152	10.98	5.00
40	विकास खण्ड सैदपुर के ग्राम पंचायत तेतारपुर (गौरहट) में पी०डब्लू०डी० रोड से गौरहटी माता मन्दिर होते हुए हरिजन बस्ती के सामने तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य ल	370	27.47	13.00
41	विकास खण्ड मरदह के ग्राम पंचायत सरवनडीह में पिच रोड से पंकज के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	205	12.08	6.00
42	विकास खण्ड सादात के ग्राम सभा जगदीशपुर में पिच रोड से आशुतोष सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य	200	11.47	6.00
43	विकास खण्ड सादात के ग्राम सभा खुटही में अशोक सिंह के खेत से बालेश्वर के दरवाजे तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	100	4.98	2.00
44	विकास खण्ड मुहम्मदाबाद में ग्राम हरदिया में हरदिया चट्टी से रामकेर राजभर के घर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य	125	6.76	3.00
45	विकास खण्ड मुहम्मदाबाद में ग्राम पंचायत अदिलाबाद के मौजा कस्बा करीम उर्फ सुरहिया में हलीम खॉ के घर से सम्मत स्थल तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य।	100	5.11	2.00
46	विकास खण्ड मुहम्मदाबाद में फखराबाद बैरान सम्पर्क मार्ग पर कोहरपुरवा के पूरब स्थित पुलिया के निकट से ब्रहमदासपुर के हरिनाथन के द्वार तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य	135	6.24	3.00
47	विकास खण्ड मुहम्मदाबाद में प्राइमरी पाठशाला कमालपुर से पाल बस्ती छत्तरपुर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य	100	5.55	3.00
48	विकास खण्ड कासिमाबाद में ग्राम सभा कयामपुर के बहादीपुर में श्री राजभर के द्वार से चंद्रिका राजभर के घर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण	150	9.87	5.00
49	विकास खण्ड भांवरकोल में ग्राम पंचायत बीरपुर के अन्तर्गत बहोरा (बटवलिया) में अशोक यादव के दरवाजा से काली माँ के मंदिर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण	120	6.65	3.00
50	विकास खण्ड भांवरकोल में प्रधानमंत्री मार्ग पर जसदेवपुर के मानव बाबा मंदिर से उमेश तिवारी के द्वार तक सी०सी० मार्ग का निर्माण	130	7.88	4.00
51	विकास खण्ड़ करंडा में ग्राम सभा सिकंदरपुर हरिजन बस्ती	543	57.26	27.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	नहर से बद्रीनाथ महिला महाविद्यालय मेदनीपुर के गेट तक सीसी रोड का निर्माण कार्य			
52	ब्लाक सदर ग्राम सभा विशुनपुरा भगलापुर पिच रोड से गरीबदास उत्तर माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर पिपरही गाजीपुर के गेट तक सीसी रोड का निर्माण कार्य	165	13.15	6.00
53	विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम आगापुर पारा में सी०सी० रोड से अनुसूचित बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	270	13.5	6.00
54	विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम समोगर के पिच रोड से राजभर बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	360	18.65	9.00
55	विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम रामपुर जीवन रामगढ़ में पिच रोड से रविदास मन्दिर होते हुए अनुसूचित बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	280	15.61	7.00
56	विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम कस्बा दयाल में बतासी देवी रोड से ए0एच0एम0 स्कूल होते हुए दलित बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	339	20.36	10.00
57	विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम सरांय गोकुल में पिच रोड से अनुसूचित बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	450	23.05	11.00
58	विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम बल्लीपुर में पिच रोड से शीला राजभर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	510	24.33	12.00
59	विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम बभनौली के मौजा जहांनपुर में नहर पिच रोड से प्राथमिक विद्यालय होते हुए राजभर बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	340	16.34	8.00
60	विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम मुबारकपुर कुदुरतल्ला शादियाबाद नन्दगंज पिच रोड से डा० कामता के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	270	14.48	7.00
61	विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम रंजीतपुर में सुदामा के घर से ओमप्रकाश राम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	222	11.38	5.00
62	विकास खण्ड मनिहारी के ग्राम सुरहुरपुर हरिचरण में पिच रोड से बबलू राजभर गायक के घर होते हुए राजभर बस्ती तक इण्टरलाकिंग कार्य	290	14.29	7.00
63	विकास खण्ड सादात के ग्राम सभा सावास में पिच रोड से राजभर बस्ती तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	350	16.85	8.00
64	विकास खण्ड सादात के ग्राम मजई में पिच रोड से अनुसूचित बस्ती तक इण्टरलाकिंग रोड निर्माण कार्य	243	11.74	6.00
	योग	**17810.5**	**1001.21**	**479.00**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सैंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारितव्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों मेंवास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/ स्टील/ ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं काअनुपातिक /मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।
7. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
9. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
13. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
14. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
15. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
16. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
17. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

19. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
20. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
21. कार्य स्थल पर संतुलित क्षेत्रीय विकास (पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड) निधि के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
22. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
23. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
24. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
25. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
26. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
27. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्तमूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुएजनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविकलागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यो की लागतमें कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गतराजकोष में जमा किया जायेगा।
28. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
29. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
30. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
31. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या:101/2025/726पू0वि0नि0/35-1-2025/35-1099/110/2025 दिनांक 10 जून, 2025में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों में से क्रमांक 10,11,21,22,25,40,51,53, 55 से 57 एवं 64 पर आने वाले व्यय रू.131.00 लाख /-(रूपये एक करोड़ इकतीस लाखमात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अनुदान संख्या-83 के बजट लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाएं-24 वृहद निर्माण की मद से तथा शेष कार्यों पर आने वाले व्यय व्यय रू.348.00 लाख /-(रूपये तीन करोड़ अड़तालीस लाख मात्र) को अनुदान संख्या-40 के बजट लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24 वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 62/2026/326(1)/35-4-2026/35-1099/20/2025, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजीपुर।
11- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजीपुर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गाजीपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।